रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2007/पौष 10, 1929
No. 236] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2007/PAUSA 10, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

फा. सं. एल-7/106(122)/सीईआरसी-2007.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व में हिस्सेदारी) विनियम, 2007 है ।

(2) ये विनियम अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली, जिसमें उसके कोई भी घटक सम्मिलित हैं, के स्वामियों, उन पारेषण प्रभारों को लागू होंगे जो लागत प्लस आधार पर आयोग द्वारा अवधारित किए जाते हैं ।

(3) ये विनियम 1-1-2008 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन :

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(5) "पारेषण कारबार" से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के संनिर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव का कारबार अभिप्रेत है ;

(6) "पारेषण स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का स्वामी है, उसका प्रचालन करता है तथा उसको बनाए रखता है ; और

(7) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

3. अन्य कारबार की सूचना - (1) अपनी आस्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अन्य कारबार को आरंभ करने का प्रस्ताव करने वाला पारेषण स्वामी ऐसे अन्य कारबार को आरंभ करने की अपने आशय की पूर्व सूचना आयोग को लिखित में देगा :

परंतु यह कि इन विनियमों के आरंभ से पूर्व अन्य कारबार को आरंभ करने वाला पारेषण स्वामी ऐसे प्रारंभ की तारीख से दो मास के भीतर ऐसी सूचना देगा ।

(2) यथापूर्वोक्त ऐसी सूचना देते समय, पारेषण स्वामी शपथपत्र द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित निम्नलिखित ब्यौरे देगा, अर्थात् : -

(क) अन्य कारबार की प्रकृति;
(ख) अन्य कारबार में पूंजी विनिधान;
(ग) अन्य कारबार से व्युत्पन्न या व्युत्पन्न किया जाने वाला प्राकलित राजस्व ;
(घ) अन्य कारबार के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली आस्तियों, जैसे संचार कारबार की दशा में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित मार्गाधिकार की लंबाई; और
(ड.) प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित आस्तियों की लागत; और
(च) विद्युत में अंतर-राज्यिक पारेषण संबंधी अन्य कारबार के लिए आस्तियों के उपयोग का प्रभाव, यदि कोई हो ।

(3) खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्यौरे तत्पश्चात् उस हर समय पर पारेषण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे जब अन्य कारबार के लिए आस्तियों के उपयोग में परिवर्तन होता है :

परंतु यह कि संचार कारबार की दशा में इन ब्यौरों को प्रत्येक वर्ष के आधे वर्ष में 30 अप्रैल तथा 31 अक्तूबर तक प्रस्तुत किया जाएगा :

4. **राजस्व की हिस्सेदारी की रीति** - (1) पारेषण स्वामी अन्य कारबार से राजस्व की हिस्सेदारी निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात् : -

(क) संचार कारबार

(i) यदि अन्य कारबार संचार कारबार है तो राजस्व की हिस्सेदारी के लिए मानदंड संचार कारबार के लिए पारेषण स्वामी के स्वामित्वाधीन पारेषण टावरों पर आप्टिकल फाइबर केबल या आप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर बिछाने के लिए प्रयुक्त मार्गाधिकार की लंबाई होगी ।

(ii) पारेषण स्वामी पारेषण टावरों पर एक आप्टिकल फाइबर केबल या आप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर बिछाने के लिए मार्गाधिकार के लिए 3000 रूपए प्रतिवर्ष प्रति किलोवाट की दर से राजस्व को बांटेगा तथा बांटा गया राजस्व उपयोग के लिए पहचाने गए फाइबरों की संख्या के अनुपात में आप्टिकल फाइबर केबल या आप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर के उपयोक्ताओं के बीच प्रभाजित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण यदि 'एम' फाइबर वाले आप्टिकल फाइबर केबल या आप्टिकल फाइबर संमिश्रित शिरोपरि ग्राउंड वायर पारेषण लाइन पर संस्थापित किया गया है, और 'एन' फाइबर संचार कारबार (एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार स्कीम के लिए प्रयुक्त किए जा रहे शेष फाइबर) के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु हैं, तो संचार कारबार वार्षिक पारेषण प्रभार की कटौती के लिए पारेषण कारबार को (एन x एम) रूपए x 3000 प्रति किलोमीटर की प्रतिपूर्ति करेगा ।

(iii) 1 अप्रैल को विद्यमान मार्गाधिकार की लंबाई पर सुंगत वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के लिए तथा 1 अक्तूबर से 31 मार्च की अवधि को विद्यमान बांटने योग्य राजस्व की संगणना के लिए विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि पारेषण स्वामी इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व संचार कारबार आरंभ करता है तो 1 जनवरी, 2008 को यथा विद्यमान मार्गाधिकार की लंबाई पर 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 की अवधि के लिए बांटने योग्य राजस्व की संगणना के लिए विचार किया जाएगा ।

(ख) संचार कारबार से भिन्न कारबार

आस्तियों के फायदाग्राहियों को प्रतिवेदन का समुचित अवसर देगा ।

5. **पारेषण प्रभारों में कटौती :** इन विनियमों के अनुसार पारेषण स्वामी द्वारा बांटने योग्य राजस्व का उपयोग पारेषण स्वामी को उनके द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों के अनुपात में अन्य कारबार के लिए प्रयुक्त आस्तियों के फायदाग्राहियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों की कटौती के मद्दे किया जाएगा तथा क्रमशः मास के बिलों में मासिक आधार पर समायोजित किया जाएगा ।

6. **लेखाओं को बनाए रखना :** (1) पारेषण स्वामी प्रत्येक अन्य कारबार तथा पारेषण कारबार से पृथक कारबार के लिए पृथक लेखा बहियां बनाए रखेगा तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा की प्रतियां तथा वर्ष के 31 अक्तूबर को या उससे पूर्व वार्षिक रूप से आयोग को संपरीक्षा रिपोर्ट तथा लेखाओं की टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।

(2) अन्य कारबार के लिए लेखाओं की बहियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पारेषण कारबार तथा अन्य कारबार के बीच प्रभारों के अनुपात या आबंटन के आधार के साथ अन्य कारबार से या उसके राजस्व, लागत, आस्ति, दायित्व, आरक्षिति, प्रभारित प्रावधान के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

7. **अन्य शर्तें:** (1) पारेषण स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पारेषण कारबार अन्य कारबार से सहायता प्राप्त नहीं करता है ।

(2) पारेषण स्वामी अन्य कारबार के समर्थन में अपनी पारेषण आस्तियों को किसी रूप में बाधित नहीं करेगा ।

(3) पारेषण स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य कारबार के लिए अपनी आस्तियों के उपयोग से पारेषण कारबार में उसके कार्यपालन या बाध्यताओं पर किसी भी रीति से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

आयोग की शक्तियां : (1) आयोग अन्य कारबार से प्रयुक्त किए जा रहे पारेषण कारबार की आस्तियों के निर्धारण के लिए पारेषण स्वामी के लेखाओं, अभिलेखों तथा आस्तियों और अधिनियम, नियम तथा इन विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण तथा सत्यापन कर सकेगा ।

(2) आयोग इन विनियमों के अधीन बांटनेयोग्य राजस्व के सत्यापन के प्रयोजन के लिए निरीक्षण करने हेतु ऐसे शर्तों, यदि कोई हो, जो समुचित समझे जाएं, के अधीन रहते हुए अपने किसी भी अधिकारी तथा किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा तथा जो आयोग को रिपोर्ट देगा ।

(3) आयोग खंड (2) के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् पारेषण स्वामी तथा आस्तियों के [illegible] को प्रतिवेदन का अवसर देने के पश्चात ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह

10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति: यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा करने या वचनबंध करने या पारेषण स्वामी को ऐसा निदेश दे सकेगा या ऐसी बात आरंभ कर सकेगा जो आयोग की राय में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

11. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999, जिसमें कोई भी कानूनी संशोधन या उसकी पुर्न-अधिनियमिति भी सम्मिलित हैं, इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में लागू होंगे ।

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन 3/4/असा./150/07]